न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–10/2017(राजस्व प्रा0 पत्र सं. 12/98)

गोपी पुत्र भैरू जाति भांबी निवासी ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला–अजमेर। जरिये मुख्तयारआम सीताराम पुत्र श्रीनारायण जाति भांबी, निवासी ग्राम कानस तहसील पुष्कर ज़िला–अजमेर (राज0)

बनाम .....प्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला–अजमेर।
2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

..... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता, माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान पीठ, जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 18068/2016 उनवानी गोपी बनाम जिला कलक्टर अजमेर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा अपील संख्या 66 बउनवानी गोपी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2010 की पालना बाबत।

उपस्थितः– 1. श्री ललितशरण शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी पैरोकार सरकार
3. श्री अविनाश शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2

आदेश

दिनांक – 28.06.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी साबिक ख0न0 1234 जिसके वर्तमान खसरा नं0 1217/1365 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा में से रकबा 8 बीघा उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रार्थी गोपी पुत्र भैरू जाति भांबी निवासी ग्राम कानस को दिनांक 16.11.1975 को नियमानुसार कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। तत्पश्चात वर्किंग जमाबंदी के खाता नं0 188 में खसरा नम्बर 1234 मिन रकबा 08–00–00 बीघा किस्म बारानी–3 प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई। आवंटन की शर्तो के अनुसार प्रार्थी आवंटित भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण बिना किसी बाधा के करता रहा। आवंटन नियम 1970 के 18 के अनुसार आवंटन के तीन वर्ष पश्चात प्रार्थी को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रार्थी के आवंटन दिनांक 16.11.75 को निरस्त करवाये जाने हेतु आवंटन अवधि के करीब 13 वर्ष पश्चात नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत निरस्त करवाने हेतु जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 12/98 बउनवानी राजस्थान सरकार व अन्य बनाम गोपी दर्ज करवाया गया। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 11.12.98 द्वारा प्रार्थी का आवंटन दिनांक 16.11.75 निरस्त किये

28/06/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 23.7.2010 के द्वारा स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.98 निरस्त करते हुए प्रार्थी के आवंटन दिनांक 16.11.75 को बहाल किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.7.2010 के विरूद्ध छोटू व अन्य ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 4828/2010 एल.आर./जिला–अजमेर उनवानी छोटू वगैरह बनाम गोपी वगैरह में दिनांक 14.6.16 को अपीलान्ट्स के द्वारा अपील नहीं चलाने के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर खारिज किये जाने से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनांक 23.7.2010 अन्तिम हो गया। किन्तु पालना नहीं होने पर प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ, जयपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की, जों आदेश दिनांक 24.01.2017 से निर्णित फरमाते हुए जिला कलक्टर अजमेर को प्रार्थी का आवंटन बहाल करने के निर्देश प्रदान किये। उपरोक्तानुसार विचाराधीन न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान प्रार्थी को आवंटित भूमि हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का नामान्तरकरण श्रीमान् के आदेशानुसार अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया जो प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। आवंटित भूमि साबिक खसरा नं0 1234 के हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का नियमानुसार प्रार्थी काबिज खातेदार–काश्तकार उपयोग–उपभोग कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 में दिये गये निर्देशानुसार मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 23.7.2010 की पालना में ग्राम कानस साबिक तहसील अजमेर हाल तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित भूमि साबिक खसरा नं0 1234 के हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मय प्रति क नोटिस तहसीलदार पुष्कर एवं सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण को जारी किये गये तथा मूल पत्रावली रेकार्ड से तलब कर संलग्न पत्रावली की गई। तहसीलदार पुष्कर एव अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी साबिक ख0न0 1234 जिसके वर्तमान खसरा नं0 1217/1365 रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा में से रकबा 8 बीघा उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रार्थी गोपी पुत्र भैरू जाति भांबी निवासी ग्राम कानस को दिनांक 16.11.1975 को नियमानुसार कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। तत्पश्चात वर्किंग जमाबंदी के खाता नं0 188 में खसरा नम्बर 1234 मिन रकबा 08–00–00 बीघा किस्म बारानी–3 प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई। आवंटन की शर्तो के अनुसार प्रार्थी आवंटित भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण बिना किसी बाधा के करता रहा। आवंटन नियम 1970 के 18 के अनुसार आवंटन के तीन वर्ष पश्चात प्रार्थी को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। परन्तु तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रार्थी के आवंटन दिनांक 16.11.75 को निरस्त

28/06/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

करवाने बाबत आवंटन अवधि के करीब 13 वर्ष पश्चात नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 11.12.98 को पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आदेश दिनांक 23.7.2010 के द्वारा स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.98 निरस्त करते हुए प्रार्थी के आवंटन दिनांक 16.11.75 को बहाल किया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.7.2010 के विरूद्ध छोटू व अन्य द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 4828/2010 उनवानी छोटू वगैरह बनाम गोपी वगैरह को अपीलान्ट्स द्वारा अपील नहीं चलाने के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर खारिज किये जाने से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनांक 23.7.2010 अन्तिम हो गया। किन्तु इसकी पालना नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ, जयपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 24.01.2017 से निर्णित फरमाते हुए जिला कलक्टर अजमेर को प्रार्थी का आवंटन बहाल करने के निर्देश प्रदान किये। उपरोक्तानुसार विचाराधीन न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान प्रार्थी को आवंटित भूमि हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का नामान्तरकरण श्रीमान् के आदेशानुसार अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया जो प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। आवंटित भूमि साबिक खसरा नं0 1234 के हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का नियमानुसार प्रार्थी काबिज खातेदार–काश्तकार उपयोग–उपभोग कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 में दिये गये निर्देशानुसार मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 23.7.2010 की पालना में ग्राम कानस साबिक तहसील अजमेर हाल तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित भूमि साबिक खसरा नं0 1234 के हाल खसरा नं0 1217/1365 रकबा 8 बीघा का प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत जवाब कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 11.12.1998 के विरूद्ध आवंटी द्वारा मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहाँ अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 23.7.2010 से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.1998 निरस्त करते हुए विवादित भूमि खसरा न0 हाल 1234 रकबा 8 बीघा का दिनांक 16.11.1975 को किया गया आवंटन बहाल किया गया। मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के इस आदेश की अपीलें न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रस्तुत की गई जो खारिज कर दी गई। मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 23.7.2010 की पालना नहीं होने पर आवंटी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2017 द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2010 की पालना में विवादित भूमि का पिटीशनर के हक में नामान्तरकरण क्यों नहीं हो सकता बाबत

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

28/06/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

याचिकाकर्ता द्वारा वाछित अनुतोष को ध्यान में रखते हुए विस्तृत आदेश तीन माह में पारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या 4828/2010 तथा 6000/2016 खारिज कर दिये जाने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.1.2017 के परिपेक्ष्य में वर्तमान में मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय दिनांक 23.10.2010 प्रभावी हो गया है। उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज होने के फलस्वरूप वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई। उपस्थित अभिभाषक अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ने मुख्यतः कथन किया कि विवादित आराजी नियमानुसार आवंटित कर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तान्तरित की गई है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के हक में अंकन दर्ज होकर स्वामित्व एवं अधिकार में है। प्रकरण का निस्तारण पक्षकारो के दस्तावेजात का समुचित विवेचन कर यथोचित आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस/प्रार्थना पत्र कथनो का ध्यान पूर्वक मनन किया एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 4828/2010, निर्णय दिनांक 14.6.2016 से एवं अपील संख्या 6000/2016 निर्णय दिनांक 01.05.2017 द्वारा खारिज किये जाने से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.7.2010 वर्तमान में प्रभावी है। जिसके अनुसार इस न्यायालय (जिला कलक्टर, अजमेर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.1998 निरस्त किया जाकर प्रार्थी को दिनांक 16.11.1975 को किया गया आवंटन बहाल किया गया है। मान0राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के इस निर्णय की पालना हेतु प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस0बी0 सिविल रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता (जिला कलक्टर,अजमेर) को निर्देशित करते हुए उल्लेख किया है कि " In this facts of the case, this writ petition is disposed off requiring the petitioner to approach the District collector, Ajmer, by way of representation along with a copy of this order, who shall consider and decide the same within a period of three months addressing the grievance of the petitioner by a speaking order giving reasons as to why the land in question has bot been mutated in favour of the petitioner despite order dated 23.07.2010 passed by the Revenue Appellate Authority. नामान्तरकरण कार्यवाही एक Fiscal proceeding मात्र है इससे हक अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत आराजी बाबत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.7.2010 को प्रभावी बताया गया है। वर्तमान खातेदार अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण का निस्तारण पक्षकारान के दस्तावेजों का समुचित विवेचन अनुसार करने का निवेदन किया गया है जिससे प्रश्नगत प्रभावी आदेश की पालना किये जाने बाबत आपत्ति नहीं होना जाहिर है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्डस) रूल्स के नियम 128 में न्यायालय की आज्ञा की पालना में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का प्रावधान है। चूंकि मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2010 के विरूद्ध वर्तमान में कोई अपील भी विचाराधीन नहीं है, जिसमें स्थगन हों।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

28/06/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी को दिनांक 16.11.1975 को आवंटित प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण उनके पक्ष दर्ज नहीं किये जाने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर (राजस्थान) स्थित प्रश्नगत आराजी साबिक खसरा नं0 1234 में प्रार्थी को आवंटित रकबे का नामान्तरकरण उनके हक में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को तहरीर जारी हों। साथ ही सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नगत आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी अजमेर, जिला कलक्टर अजमेर, राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर व राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेशों का अध्ययन कर अपील/No अपील पर निर्णय बाबत गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 28.06..2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/06/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner